प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 01.03.2017

माननीय वित्त मंत्री, श्री जयंत मलैया ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2017-2018 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

- वर्ष 2017-2018 के बजट में कुल विनियोग राशि ₹ 185564.27 करोड़ एवं कुल शुद्ध व्यय ₹ 169954.46 करोड़ का प्रावधान।
- वर्ष 2017-2018 के लिये ₹ 4596.40 करोड़ का राजस्व आधिक्य।
- वर्ष 2017-2018 का राजकोषीय घाटा ₹ 25688.97 करोड़ होना संभावित है, जो कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 3.5% के भीतर है।

- वर्ष 2017-2018 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 139115.67 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹ 50295.21 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 51106.32 करोड़, करेतर राजस्व ₹ 11679.74 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 26034.40 करोड़ शामिल है।
- वर्ष 2017-2018 में वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 14% की वृद्धि अनुमानित।
- वर्ष 2017-2018 में राजस्व व्यय ₹ 134519.27 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 124516.01 करोड़ से 8% अधिक है।
- पूंजीगत परिव्यय ₹ 32,114 करोड़ (पु.अ.) से बढ़कर ₹ 35,435 करोड़, 10% की वृद्धि।
- पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.82% है।
- वर्ष 2017-2018 का प्रारंभिक शेष ₹ 323.34 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित ₹ (-) 451.59 करोड़ है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार ₹ (-) 128.25 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्कीम) के अंतर्गत वर्ष 2017-2018 में ₹ 25,862.15 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम) के अंतर्गत वर्ष 2017-2018 में ₹ 16,381.40 करोड़ का प्रावधान।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 3.49 %
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का प्रतिशत 0.63 %
- ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत 8.30 %

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- कृषि बजट के लिये वर्ष 2017-18 में ₹ 33,564 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये ₹ 2000 करोड़ का प्रावधान।
- आर.के.व्ही.वाई. योजना अंतर्गत ₹ 400 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु ₹ 305 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन हेतु ₹ 40 करोड़ का प्रावधान।
- ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु ₹ 46 करोड़ का प्रावधान।
- कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना पर अनुदान हेतु ₹ 14 करोड़ का प्रावधान।

उद्यानिकी

- माइक्रों इरिगेशन हेतु ₹ 140 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹ 92 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन हेतु ₹ 62 करोड़ का प्रावधान।
- फसल बीमा योजना हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान।
- प्याज भण्डारण क्षमता में वृद्धि हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान।

पशुपालन एवं मछली पालन

- पशुपालन विभाग की योजनाओं हेतु ₹ 1001 करोड़ का प्रावधान।
- मछली पालन हेतु ₹ 91 करोड़ का प्रावधान।

वानिकी

- नर्मदा नदी के तट संरक्षण के लिये फलदार एवं गैर फलदार वृक्षारोपण के लिये ₹ 102 करोड़ का प्रावधान।
- वन विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 2704 करोड़ का प्रावधान।

ग्रामीण विकास

- निर्मल भारत अभियान अंतर्गत 3000 ग्राम पंचायतों में ठोस, तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लये ₹ 1750 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु ₹ 3500 करोड़ का प्रावधान।

- महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ₹ 2000 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ₹ 633 करोड़ का प्रावधान।
- पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिये ₹ 1127 करोड़ का प्रावधान।
- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार ₹ 2642 करोड़ का प्रावधान।

नगरीय विकास

- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में ₹ 190 करोड़ का प्रावधान।
- यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी. में ₹ 170 करोड़ का प्रावधान।
- स्वच्छ भारत अभियान में ₹ 600 करोड़ का प्रावधान।
- अमृत योजना में ₹ 700 करोड़ का प्रावधान।
- स्मार्ट सिटी हेतु ₹ 700 करोड़ का प्रावधान। सागर तथा सतना शहर को स्मार्ट सिटी योजना के द्वितीय चरण में शामिल किया जाना प्रस्तावित।
- नगरीय क्षेत्रों में सबके लिये आवास हेतु ₹ 1000 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत ₹ 105 करोड़ का प्रावधान।
- दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत अधोसंरचना हेतु ₹ 10 करोड़ का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास

- आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु ₹ 90 करोड़ का प्रावधान।
- 6 नवीन पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना।
- 24 पोषण पुनर्वास केन्द्रों, में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि।
- लाडली लक्ष्मी योजना में ₹ 972 करोड़ का प्रावधान।

सड़क एवं पुल

- सड़क एवं पुल निर्माण के लिये ₹ 5966 करोड़ का प्रावधान।
- सड़क संधारण हेतु ₹ 1418 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ₹ 2850 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना में ₹ 400 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटि योजना अंतर्गत ₹ 186 करोड़ का प्रावधान।

सिंचाई सुविधा

- शासकीय सिंचाई परियोजनाओं में पूंजीगत मद में ₹ 9850 करोड़ का प्रावधान।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शासकीय सिंचाई योजनाओं से 33 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता विकसित।

पेयजल

- 1001 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में नल जल सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम।
- समूह नल जल योजनाओं के लिये ₹ 552 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिये ₹ 900 करोड़ का प्रावधान।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वर्ष 2017-18 के बजट में वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान से 90 प्रतिशत की वृद्धि।

शिक्षा

- अध्यापकों के 36000 पदों पर भर्ती की कार्यवाही।
- शाला में फर्नीचर हेतु ₹ 30 करोड़, भवन अनुरक्षण हेतु ₹ 45 करोड़, प्रयोगशाला उपकरण हेतु ₹ 27 करोड़ एवं विद्युत कनेक्शन हेतु रुपये ₹ 35 करोड़ का प्रावधान।
- 520 हाईस्कूल तथा 240 हायर सेकेण्डरी स्कूलों का उन्नयन।
- आदिवासी क्षेत्रों में 2 नवीन आवासीय गुरूकुल खोले जाना।
- भवन निर्माण के लिये स्कूल शिक्षा विभाग में ₹ 214 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति विभाग में ₹ 189 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जन जाति वर्ग के आश्रम तथा छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान।
- 30 नवीन छात्रावास निर्माण हेतु ₹ 90 करोड़, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के छात्रावास, आश्रम तथा भवन हेतु रुपये ₹ 101 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जन जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति हेतु ₹ 703 करोड़ एवं अनुसूचित जाति हेतु ₹ 740 करोड़ तथा पिछड़े वर्गों हेतु ₹ 850 करोड़ का प्रावधान।
- जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्रावास हेतु ₹ 52 करोड़ का प्रावधान।
- एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तक क्रय हेतु ₹ 92 करोड़ का प्रावधान।
- कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन अंतर्गत 11वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को सायकल का प्रदाय।

●कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण।

●बालिका छात्रावास की स्थापना, संचालन, सुरक्षा व्यवस्था एवं संचालन हेतु ₹ 48 करोड़ का प्रावधान।

उच्च शिक्षा

●विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत महाविद्यालयों के भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु ₹ 200 करोड़ का प्रावधान।

●राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के लिये ₹ 215 करोड़ का प्रावधान।

तकनीकी शिक्षा

●10 उत्कृष्ट आई.टी.आई. संस्थानों के विकास के लिये ₹ 100 करोड़ का प्रावधान।

●2.5 लाख युवाओं तथा 2 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन तथा कौशल्या योजनाओं में प्रशिक्षित करने हेतु ₹ 100 करोड़ का प्रावधान।

●मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का प्रारंभ इस हेतु ₹ 1000 करोड़ के कोष की स्थापना।

●12वीं में न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश लेने पर ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क की पूर्ण राशि अनुदान के रुप में दी जावेगी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

●पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु ₹ 823 करोड़ का प्रावधान।

●पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास निर्माण हेतु ₹ 19 करोड़ का प्रावधान।

●पिछड़े वर्गों को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने हेतु ₹ 20 करोड़ का प्रावधान।

●विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिये ₹ 50 करोड़ का प्रावधान।

अल्प संख्यक कल्याण

●मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु ₹ 30 करोड़ का प्रावधान।

●अन्य सहायता अंतर्गत ₹ 4.5 करोड़ का प्रावधान।

●प्रशिक्षण हेतु ₹ 4 करोड़ का प्रावधान।

●विभिन्न योजनाओं में ₹ 48 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य

●7 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये भवन निर्माण हेतु ₹ 590 करोड़ का प्रावधान।

●वर्तमान चिकित्सा महाविद्यालयों में अधोसंरचना निर्माण।

●जिला चिकित्सालय इंदौर, मुरैना एवं श्योपुर की क्षमता का विस्तार।

●सभी जिला चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन तथा एम.आर.आई. की सुविधा।

●प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर, सतवार तथा हस्तिनापुर का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में।

●ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सकों को 20 प्रतिशत की दर से तथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से ''व्यावसायिक दक्षतावरोध'' क्षति पूर्ति भत्ता देना प्रस्तावित।

●विशेष चिकित्सकों को अधिसूचित क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर पर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 20 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देना प्रस्तावित।

●शासकीय चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा हेतु उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग निजी चिकित्सकों को उपलब्ध कराना।

ऊर्जा

●उदय योजना अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को ₹ 7361 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान 2016-17) की अतिरिक्त सहायता।

●उदय योजना के अन्तर्गत 2017-18 में ₹ 4622 करोड़ का प्रावधान।

●अस्थाई कनेक्शनों को स्थायी कनेक्शन में परिवर्तित करने हेतु ₹ 4000 करोड़ की योजना का क्रियान्वयन।

उद्योग एवं रोजगार

●इन्वेस्टर समिट-2016 के दौरान 5.62 लाख करोड़ के लगभग 2630 निवेश प्रस्ताव प्राप्त।

●9 नवीन औद्योगिक प्रक्षेत्रों में औद्योगिक संरचना विकसित करना प्रस्तावित। इस हेतु कुल ₹ 161 करोड़ का प्रावधान।

●आई.टी. पार्क एवं इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु ₹ 58 करोड़ का प्रावधान।

●स्वरोजगार के लिये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 797 करोड़ का प्रावधान।

पर्यटन

●पर्यटन गतिविधियों के लिये उच्च स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने का निर्णय।

तीर्थ दर्शन योजना

- योजना के अंतर्गत के अंतर्गत गंगा सागर, गिरनार जी, पटना साहिब, उज्जैन, मैहर, श्री रामराजा मंदिर ओरछा, चित्रकूट, ओंकाश्वर एवं महेश्वर को जोड़ा जायेगा।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु अनुदान राशि अधिकतम रूपये 30,000 से बढ़ाकर रूपये 50,000 की जायेगी।

संस्कृति

- ओंकारेश्वर में वेदान्त पीठ की स्थापना हेतु वर्ष 2017-18 में ₹ 10 करोड़ का प्रावधान।
- वीर भारत न्यास की स्थापना हेतु ₹ 9 करोड़ का प्रावधान।

सामाजिक सुरक्षा

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि ₹ 150 प्रतिमाह से बढाकर ₹ 300 प्रतिमाह।
- जन श्री बीमा योजना में ₹ 35 करोड़ का प्रावधान।
- आम आदमी बीमा योजना में ₹ 18 करोड़ का प्रावधान।
- सेवारत एवं पेंशन पाने वालों को छोड़कर सभी विधवाओं को पेंशन दी जायेगी।

कानून व्यवस्था

- पुलिस बल के लिये ₹ 5850 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिये ₹ 402 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस बल के लिये वाहन क्रय हेतु ₹ 54 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस बल के लिये शस्त्र क्रय हेतु ₹ 44 करोड़ का प्रावधान।
- नवीन जेलों के निर्माण कार्य हेतु ₹ 65 करोड़ का प्रावधान।

न्याय प्रशासन

- उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं महाधिवक्ता कार्यालय के कामकाज के कम्प्यूटरीकरण हेतु ₹ 21 करोड़ का प्रावधान।
- न्यायालयीन अधोसंरचना निर्माण के लिये ₹ 150 करोड़ का प्रावधान।

कर्मचारी कल्याण

- शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी, 2016 से दिया जाकर इसका नगद भुगतान जुलाई, 2017 के वेतन से किया जायेगा।

वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान - विभागवार विवरण

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	पुनरीक्षित अनुमान 2016-17	बजट अनुमान 2017-18
1.	सामान्य प्रशासन	417.54	593.47
2.	गृह	5055.21	6304.32
3.	जेल	256.68	297.36
4.	वाणिज्यिक कर	1868.01	2397.67
5.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	158.83	232.81
6.	राजस्व	4858.94	3785.27
7.	परिवहन	98.19	130.07
8.	खेल एवं युवक कल्याण	201.16	223.81
9.	वन	2282.09	2704.25
10.	वाणिज्य , उद्योग एवं रोजगार	3749.23	929.17
11.	खनिज साधन	609.78	720.51
12.	ऊर्जा	21183.38	16801.62
13.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	4797.67	4541.87
14.	सहकारिता	2054.78	1676.09
15.	श्रम	148.94	178.73
16.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4886.55	5672.69
17.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	9394.37	11489.03
18.	लोक निर्माण	7295.92	8576.17
19.	स्कूल शिक्षा	18094.04	19872.89
20.	विधि एवं विधायी कार्य	812.12	1227.15
21.	पंचायत	5075.01	5079.86
22.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	850.00	846.39
23.	जन संपर्क	369.11	300.00
24.	अनुसूचित जनजाति कल्याण	4784.31	6045.94
25.	सामाजिक न्याय	1741.81	1998.64
26.	नर्मदा घाटी विकास	2135.70	2725.93
27.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1635.10	1611.64
28.	संस्कृति	222.98	219.42
29.	जल संसाधन	7499.24	8413.96
30.	पर्यटन	221.68	256.16
31.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2036.61	3669.81
32.	पशु पालन	893.89	1001.72
33.	मछली पालन	81.40	91.09
34.	उच्च शिक्षा	1997.70	2293.56
35.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	232.15	234.53
36.	जन शक्ति नियोजन	780.00	1693.16
37.	लोक सेवा प्रबंधन	82.64	99.12
38.	विमानन	23.25	34.80
39.	भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास	90.20	112.59
40.	संसदीय कार्य	67.50	88.76
41.	महिला एवं बाल विकास	4046.01	4314.85
42.	ग्रामोद्योग	282.42	257.94
43.	चिकित्सा शिक्षा	846.30	1367.33
44.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	942.31	984.13
45.	अनुसूचित जाति कल्याण	1275.37	1632.83
46.	ग्रामीण विकास	13479.77	14387.50
47.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	613.17	765.78
48.	आयुष	359.37	432.02
49.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	29.62	159.46
50.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण	35.52	49.84
51.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग		776.29

वर्ष 2003-04 से वर्ष 2017-18 तक वित्तीय संकेतकों का तुलनात्मक विवरण

क्र	वित्तीय संकेतक	वर्ष 2003-04	वर्ष 2017-18	टिप्पणी
1	कुल व्यय	₹ 21,647 करोड़	₹ 1,69,954 करोड	लगभग आठ गुना वृद्धि
2	राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राजस्व	₹ 6,805 करोड़	₹ 50,295 करोड	सात गुना से अधिक वृद्धि
3	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	₹ 4,231 करोड़	₹ 51,106 करोड	बारह गुना वृद्धि
4	केन्द्र से सहायता अनुदान	₹ 1,773 करोड़	₹ 26,034 करोड	चौदह गुना से अधिक वृद्धि
5	राजस्व व्यय	₹ 18,765 करोड़	₹ 1,34,519 करोड	सात गुना वृद्धि
6	पूँजीगत परिव्यय	₹ 2,883 करोड़	₹ 35,435 करोड	बारह गुना से अधिक वृद्धि
7	ब्याज भुगतान	₹ 3,207 करोड़	₹ 11,541 करोड	बजट की आठ गुना की वृद्धि तुलना में ब्याज भुगतान में केवल साढ़े तीन गुना की वृद्धि
8	राजस्व घाटा/आधिक्य	₹ 4,476 करोड़ (राजस्व घाटा)	₹ 4,596 करोड (राजस्व आधिक्य)	वर्ष 2004-05 से लगातार राजस्व आधिक्य की स्थिति है
9	कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	22.44 प्रतिशत	8.30 प्रतिशत	लगभग एक तिहाई कम रह गया है
10	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पूँजीगत परिव्यय का प्रतिशत	2.80 प्रतिशत	4.81 प्रतिशत	निरंतर वृद्धि हो रही है
11	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत	7.12 प्रतिशत	3.49 प्रतिशत	FRBM Act द्वारा निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा के अन्दर
12	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल ऋण का प्रतिशत	33.71 प्रतिशत	22.22 प्रतिशत	एक तिहाई की कमी आई है
13	वर्तमान मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद	₹ 1,02,839 करोड़	₹ 7,35,246 करोड़	लगभग सात गुना वृद्धि

राजकोषीय सूचक - चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2015-16	पुनरीक्षित अनुमान 2016-17	बजट अनुमान 2017-18	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	1.02	0.24	0.63	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	2.49	4.63	3.49	3.49	3.25	3.00
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियाँ) दायित्व	23.32	24.63	24.94	25.79	26.30	26.51
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया परादेय ऋण	19.66	21.35	22.22	23.32	24.08	24.50